**झारखण्ड सरकार**

**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**पत्र संख्या–वन भूमि–27/2024–**3340 **व०प०, राँची, दिनांक–**22/8/24

प्रेषक,

**जलज कुमार,**
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

**उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),**
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक,
राँची–834002.

विषय :– **132 K.V. D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल के अंतर्गत 54.407 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–656 दिनांक–23.07.2024 एवं पत्रांक–667 दिनांक–25.07.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 54.407 हे0 वनभूमि के NPV की राशि जमा की जाएगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध चिन्हित 112.882 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) विषयक अपयोजन से होने वाली क्षति एवं वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

(v) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के परामर्श एवं निदेशन में एक Soil Conservation Scheme तैयार कर इसका कर्यान्वयन किया जाना अपेक्षित होगा।

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

22/8/2024

(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–27/2024–3340 व०प०, राँची, दिनांक–22/8/24

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–11003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

22/8/2024

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–27/2024–3340 व०प०, राँची, दिनांक– 22/8/24

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Dy. G.M. Trans. Operations/Projects, JUSNL, Transmission Circle, Deoghar, Jharkhand को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(7)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 656 दिनांकः– 23/7/24

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल के अन्तर्गत 54.407 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक 753 दिनांक 11.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना हैं कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 **FP/JH/trans/45077/2020** हेतु कुल **54.407 हे0** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच–पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में समर्पित की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल गिरिडीह के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को **कुल 177.363 हे0** भूमि की आवश्यकता है जिसमें 54.407 हे0 वनभूमि एवं **122.956 हे0** गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

| क्र0सं0 | वन प्रमंडल का नाम | अधिसूचित वनभूमि का रकबा | जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा | कुल रकबा | वनस्पति घनत्व |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गिरिडीह पूर्वी | 37.216 | 9.071 | 46.287 | 0.2 |
| 2 | गिरिडीह पश्चिमी | 4.016 | 4.104 | 8.12 | 0.2 |
| | **कुल – 02** | **41.232** | **13.175** | **54.407** | |

4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization Letter संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का मंतव्य दर्ज है। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी एवं मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा निधारित Format पार्ट–II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
8. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

प्रधान सचिव कोषांग
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सं0.....3447
23 JUL 2024
झारखण्ड, राँची

(6)

11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी द्वारा अपने–अपने पार्ट–II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार ट्रासंमिशन लाईन निर्माण संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की **कुल संख्या 1744** है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेशण संलग्न है।
15. इस परियोजना में अर्तग्रस्त **13.175** हे0 **जंगल–झाड़ी** वनभूमि के उपयोग हेतु संबंधित आयुक्त उतरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के **पत्रांक 1723 दिनांक 09.11.2023** द्वारा प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त गिरिडीह के **पत्रांक 511 एवं 512 दिनांक** 13.07.2020 द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही इस क्रम में हुई आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर किसी भी प्रकार की violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
19. अपयोजन हेतु प्रस्तावित **54.407** हे0 वनभूमि के दो गुणे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 108.814 हे0 के विरूद्ध **कुल 112.882 हे0** अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् हैः–

| क्र0सं0 | वन प्रमंडल का नाम | मौजा का नाम | थाना एवं थाना नं0 | प्लॉट नं0 | अवकृष्ट वनभूमि का रकवा हे0 में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गिरिडीह पूर्वी | भन्डराटांड़ | देवरी/40 | 2,3,4 | 55.179 |
| | | दलदलिया | गांवा/71 | 01 | 29.687 |
| | | जगाई | देवरी/147 | 70 | 11.776 |
| 2 | गिरिडीह पश्चिमी | चिनमानो उर्फ तीनतारा | खरगडीहा/487 | 01,15,11 | 16.240 |
| | | कुल : | | | 112.882 हे0 |

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
21. मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल गिरिडीह द्वारा अपने पार्ट–III में यह अभियुक्ति दर्ज की गयी है कि "(i) A wildlife Management Plan will be prepared by the user agency in consultation with concerned DFO which will be implemented at the cost of agency after the approval of PCCF Wildlife Cum Chief wildlife warden Jharkhand."
(ii) A Soil Conservation Scheme will also be prepared by user agency with consultation with concerned DFO and will be implemented on project cost."
22. इस कार्यालय के पत्रांक 644 दिनांक 19.07.2024 द्वारा CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया गया है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
23. प्रयोक्ता अभिकरण को इस परियोजना हेतु कुल 54.407 हे0 वनभूमि की अपयोजन हेतु अनुरोध किया गया है।
24. प्रस्तावित 54.407 हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है।

(5)

मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ प्रत्येक वन प्रमंडल से इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 54.407 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु **स्टेज–I** प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

**अनु0ः–यथोक्त।**
**मूल प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में।**

विश्वासभाजन

23/7/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

23.7.24

# कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन–834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 667 दिनांकः– 25/7/2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरस्कार, राँची।

विषय :– **132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line** के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल के अन्तर्गत 54.407 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक 656 दिनांक 23.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 **FP/JH/trans/45077/2020** हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 752 दिनांक 24.07.2024 द्वारा उनका मंतव्य उपलब्ध कराया गया है उनके मंतव्य के अनुसार *"उक्त अपयोजन परियोजनाओं से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।"* पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 656 दिनांक 23.07.2024 के क्रम में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

25/7/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

25.7.24

प्रधान सचिव कोषांग
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सं0 3607
31 JUL 2024
झारखण्ड, राँची

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
29 JUL 2024
झारखण्ड, राँची

3861
31/7/2024

(9)


# कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744


पत्रांकः—919(WL)P/ 2024-25-752 दिनांकः— 24.07.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः— 132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्ड्ल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत 54.407 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 644 दिनांक 19.07.2024 तथा ज्ञापांक 656 दिनांक 23.07.2024

1718
25/7/2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये प्रस्ताव की प्रति एवं पार्ट– III में दोनों वन प्रमण्डल पदाधिकारियों एवं मुख्य वन संरक्षक द्वारा अंकित टिप्पणियों के आधार पर समीक्षोपरान्त अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि–

प्रभावित वन भूमि के आस–पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वन्यप्राणी देखे जाते हैं एवं हाथियों का आवागमन भी है। उक्त परियोजना न केवल वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास क्षेत्र की सीमा को कम करेगा, बल्कि वन्यजीवों के आवागमन के लिये बाधा भी बनेगा।

अतः उक्त अपयोजन परियोजनाओं से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन,

24/7/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।

प

# PART – V

**(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)**

*Diversion of 54.407 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Jamua to Gawan Transmission Line under Giridih East & West Forest Division.*

## 18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

***Recommended for Diversion of 54.407 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no--3340-- dated--22/8/24--.***

22/8/24

Rajdeep Sanjay Lal John
Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi